राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3993/2025

दारा सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 25.08.2025
आदेश की दिनांक : 28.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राज कुमार गोयल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में पम्प चालक के पद पर सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डीग, जिला डीग में कार्यरत है। अपीलार्थी मस्टर रोल के पद पर दिनांक 01.03.1989 पर दैनिक वेतन के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को हेल्पर के पद पर दिनांक 01.03.1991 को अर्ध–स्थायी घोषित कर नियुक्त किया जाकर वेतनमान 775/– रुपये प्रदान किया गया, जबकि अपीलार्थी को पम्प चालक का वेतनमान दिनांक 01.03.1991 से पम्प चालक का वेतनमान 950/– रुपये दिया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.10.2008 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को 10 वर्ष बाद स्थायी किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिकों को प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से ही पम्प चालक का कार्यभार सौपा गया था। लेकिन अन्य समान कार्मिकों को अर्द्ध–स्थायी स्थिति की तिथि से ही पम्प चालक का वेतनमान दिया गया। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पम्प चालक का वेतनमान अर्द्ध–स्थायी की तिथि से दिये जाने का अनुरोध किया, परंतु उक्त अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.

सिविल रिट पिटिशन संख्या 3040/1989 दुर्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यं में पारित आदेश दिनांक 13.12.1994 एवं अपील संख्या 3648/1989 सोहन बनाग राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.12.1994 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। माननीय अधिकरण ने भी इस प्रकार के प्रकरण अपील संख्या 3413/2025 राजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में निर्णय दिनांक 21.07.2025 पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को दिनांक 01.03.1991 से पम्प चालक के पद पर नियुक्ति मानते हुए अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिकों की नियुक्ति तिथि से अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाये।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य